



इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय अमरकंटक (म.प्र.)
(संसद के अधिनियम के अधीन स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

लालपुर, अमरकंटक, जिला-अनूपपुर (म.प्र.) - 484 887

Ref.No. IGNTU/2015/PUR/16

Date : 11/06/2015

किराए पर अस्थायी निर्मित कॉफी शॉप/कियोस्क, सुसज्जित एवं संचालित करने हेतु
अल्पकालीन निविदा सूचना

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक लालपुर स्थित विश्वविद्यालय परिसर में अस्थायी निर्मित शेड्स में कॉफी शॉप/कियोस्क संचालित करने हेतु हिन्दुस्तान लीवर/नेस्कैफे/गोदरेज/कॉफीडे/जार्जिया/बोन टेम्स कम्पनी इत्यादि से मुहर बंद लिफाफे में मासिक किराए पर कॉफी शॉप आवंटन हेतु अल्पकालीन निविदा आमंत्रित करता है।

अस्थायी कॉफी शॉप/कियोस्क का विवरण निम्न है:


1. सोन हॉस्टल के समीप 12 फुट × 12 फुट कुल 144 वर्गफुट
2. अकादमिक बिल्डिंग के समीप 12 फुट × 12 फुट कुल 144 वर्गफुट

(नोट - निविदाकार कॉफी शॉप/कियोस्क का निरीक्षण निविदा जमा करने के पहले कर सकते हैं।)

इच्छुक कम्पनी द्वारा अपने मूल लेटर हेड पर पूर्ण विवरण एवं आवश्यक दस्तावेज के साथ वित्तीय बोली अधिकतम (मासिक देय किराया) एवं प्रस्तावित सुसज्जित शॉप/कियोस्क के फोटोग्राफ के साथ एवं रुपये 5000/- (रुपये पाँच हजार मात्र) की अमानत राशि का बैंक ड्राफ्ट इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, अमरकंटक के नाम, स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, अमरकंटक शाखा (IFSC Code No. SBIN 0004674) या सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, लालपुर अमरकंटक शाखा (IFSC Code No. CBIN 0284695) पर देय के साथ मुहर बंद लिफाफे में निविदा कार्यालयीन समय पर दिनांक 02.07.2015 समय 3:00 बजे अपराह्न तक विश्वविद्यालय कार्यालय में स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा जमा किया जा सकता है। अमानत राशि के बिना निविदा प्रपत्र निरस्त कर दिया जायेगा। अलग-अलग दुकान का अलग-अलग निविदा राशि/अमानत राशि/निविदा प्रपत्र जमा करना होगा। सभी दस्तावेज पर कम्पनी का मुहर तथा अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर होना आवश्यक है।

1. कियोस्क को अच्छी तरह से फर्निशिंग/साज-सज्जा की जिम्मेदारी कम्पनी की होगी। नमूना फोटोग्राफ अवलोकनार्थ संलग्न है।
2. कॉफी मशीन/फ्रिज एवं आवश्यक उपकरण तथा सामग्री कियोस्क के साथ कम्पनी के द्वारा ही कॉफी शॉप में रखा जायेगा।

नोट : निविदा शुल्क की राशि रुपये 200/- मात्र है। जिसका बैंक ड्राफ्ट अमानत राशि के विवरण के अनुसार ही बनेगा। निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं की जायेगी। बिजली एवं पानी का भुगतान अलग से प्रतिमाह देयक बिल के अनुसार जमा करना होगा। सम्पूर्ण विवरण कम्पनी के लेटर हेड पर देना अनिवार्य है। विवरण के साथ संरचना का एक फोटोग्राफ संलग्न करना होगा। संरचना के फोटोग्राफ का नमूना अवलोकनार्थ संलग्न है। इसी तरह का अपेक्षित है।


कुलसचिव 11/6/15

वित्तीय बोली

किराये की अधिकतम राशि जो विश्वविद्यालय को देय होगा। (बिजली पानी रहित) उसका भी उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी आधार पर दुकान का आवंटन अधिकतम किराया राशि वाले को ही किया जाएगा।

कम्पनी का नाम :.....

दुकान :कॉफी शॉप संचालित करने के लिए

प्रस्तावित मासिक देय किराया अधिकतम रूपये(अंकों में)

(रूपये.....(शब्दों में)

दिनांक:

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर.

Sample Design

